RNI No. MAHBIL/2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक ४१] गुरूवार, डिसेंबर १७, २०१५/अग्रहायण २६, शके १९३७ [पृष्ठे १, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ७३

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयक व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

शुद्धीपत्रक

महाराष्ट्र शासन **राजपत्र** असाधारण भाग सात, दिनांक १७ जुलाई २०१५ में पृष्ठ क्रमांक १ से ३ मे प्रकाशित किये गए दंड प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, २०१५ (सन २०१५ का विधान परिषद विधेयक क्रमांक १३) के उद्देशों और कारणों के वक्तव्य में,—

परिच्छेद ३ में.—

(क) " लोक सेवको संबंधी कई मामलों मे यह देखा गया है कि, धारा १५६ (३) के अधीन शक्ति, सहजतासे या नैमित्तिक रित्या में, मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त की जाती है ।" शब्दों के स्थान में यथा निम्न पढा जायेगा :—

"लोक सेवकों संबंधी कई मामलों मे यह देखा गया है की धारा १५६ (३) के अधीन जाँच के लिये लोक सेवकों को अपने पदीय कर्तव्यों और प्रवृत्त विधि के कार्यान्वयन के लिये निजी द्वेष और रोक रखने के निदेश प्राप्त किये जाते है ।

(ख) " तथापि, यह देखा गया है की, लोक सेवक के अभियोजन के लिये मंजुरी आदेश संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा निष्ठा से अनुसरण नहीं किये जाते है " शब्दों के स्थान में यथा निम्न पढा जायेगा :—

"तथापि, यह देखा गया है कि, उपर्युक्त उपबंध लोक सेवकों को संरक्षित करने के लिये अपर्याप्त पाये गये हैं और उन्हे अनुचित तथा नाहक अभियोजन का सामना करना पडा रहा हैं ।"

नागपूर,
दिनांक : १७ डिसेंबर, २०१५ ।

देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री ।

विधान भवन,
नागपूर,
दिनांक : १७ डिसेंबर, २०१५ ।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001. AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.